27.05.25	पत्रावली पेश। अधिवक्ता प्रार्थीयागण उप०। अप्रार्थी सं. 1 से 4 को रूक-रूक कर तीन बार आवाज दिलवाई गई। कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीयागण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं आक्षेशिका दिनांक 22.04.25 के कथनों को दोहराते हुये अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि सरहद मौजा डांगरा के खेत खसरा संख्या 127 रकबा 1.61 हेक्टेयर, खसरा संख्या 232 रकबा 1.63 हेक्टेयर व इसी प्रकार ग्राम रावतसर के खेत खसरा संख्या 837 रकबा 1.63 हेक्टेयर ~~रकबा 1.63 हेक्टेयर~~ जुमले रकबा 4.87 हेक्टेयर में हमारे

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.12 17:06:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही आज इनिशियल्स जज	नम्बर और अहलकार हुक्म जारी हुआ
	कब्जे काश्त में न तो स्वयं दखलंदाजी करे एवं ना ही अन्य किसी से करवाबे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। हमने प्रार्थीयागण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया तथा प्रथम द्रष्टया अवलोकन से पाया कि मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। — ! आदेश ! — अत: प्रार्थीयान के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा डांगरा के खेत खसरा नं. 127 रकबा 1.61 हे., ख.नं. 232 रकबा 1.63 हेक्टेयर व मौजा रावतसर के खेत खसरा नं. 837 रकबा 1.63 हेक्टेयर में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नंबर से [illegible] दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Pramod Kumar Date: 2025.06.12 17:06:38 IST Reason: SelfAttested सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)	

Scanned with OKEN Scanner